XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

34

## न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद सं0– 50/2006

(धारा–48(ई0) बी. टी. एक्ट अन्तर्गत)

1. श्रीमती शीला रानी देवी, पिता– श्री रामानन्द राय
सकिन–खजरैठा, थाना–नारायणपुर, जिला–मुंगेर
2. श्री जय किशोर शर्मा, पिता–स्व0 तारिणी शर्मा
सकिन–परोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदकगण

बनाम

1. मो0 कमरूद्दीन खँ पिता–स्व0 अब्दुल खँ
साकिन– आदमपुर(मोगलटोली) थाना– के0 नगर, जिला– पूर्णियाँ.....विपक्षीगण

## आदेश

आवेदकगण विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा बटाईदारी वाद संख्या 56/2004–05 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील किया है। आवेदकगण का कथन है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व किसी भी प्रकार के आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया है। अंकनीय है कि जिस प्रश्नगत जमीन मौजा गणेशपुर, थाना नं0–36, थाना–के0नगर खाता नं0–683 खेसरा नं0 1762/1778, खाता न0–1629 खेसरा नं0 1730/7376 रकवा क्रमशः 1 एकड़ एवं 1.50 एकड़ पर विपक्षी द्वारा बटाईदारी वाद लाया गया था । उक्त जमीन एवं अन्य जमीन कुल रकवा 16.79 एकड़ जमीन पर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत वाद संख्या 271 एम/2000 अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में चल रहा था और पुनः उक्त वाद का रूपान्तरण धारा 145 द0प्र0स0 में हुई और यह वाद बटाईदारी वाद के बहुत पूर्व से ही प्रश्नगत जमीन पर चल रहा था। अंचल पदाधिकारी ने दिनांक 03.05.2000 को अपने प्रतिवेदन द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचित किया था कि प्रश्नगत जमीन एवं अन्य जमीन पर कई लोगों ने झोपडी बना लिया है। जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव है और शान्ति भंग होने की संभावना है। अनुमण्डल पदाधिकारी ने वाद संख्या 271/एम0/2000 में अंतिम आदेश में स्पष्ट लिखा है कि प्रश्नगत जमीन भूस्वामी के दखल में है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा इन सब उपरोक्त घटनाओं को नजरअंदाज किया गया कि जिस जमीन पर कई लोग जबरदस्ती झोपड़ी बनाकर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। उसी जमीन पर विपक्षी कैसे बटाईदारी की बात कर रहा है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश तथ्य के प्रतिकूल है।

आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वास्तविक तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाए।

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

विपक्षी का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के अनुकूल है। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा समझौता बोर्ड का गठन किया गया। आवेदक ने धारा 145 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत चल रहे वाद को भी अंकित किया है लेकिन विपक्षी उस वाद में पक्षकार नहीं था। विपक्षी का यह भी कथन है कि धारा 48 ई0 के अर्न्तगत जब वाद प्रारंभ होती है तो उस स्थिति में धारा 145 दं0प्र0सं0 स्वतः स्थगित हो जाती है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा आरोपित इस अपील को खारिज किया जाए।

दिनांक 11.03.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर, पूर्णियाँ के द्वारा गठित समझौता परिषद् के द्वारा कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है। आवेदक के साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर के न्यायालय में प्रश्नगत जमीन पर धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत एक वाद दखल कब्जा से संबंधित लंबित है। इसके बावजूद भी विपक्षी के द्वारा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में 48(ई0) के तहत वाद दायर किया गया एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद भी दायर किया गया। अंचल अधिकारी जो समझौता परिषद् हेतु विपक्षी के पक्ष में प्रतिवेदन दिए हैं, उनके द्वारा धारा धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत वाद में आवेदक के पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया है। इसलिए उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आवेदक के द्वारा निम्न न्यायालय एवं समझौता परिषद् में उपस्थित होने से इंकार करते हुए आपत्ति किया गया है। आवेदक के द्वारा धारा 145 सी0आर0पी0सी0 के तहत वाद में विपक्षी पक्षकार नहीं हैं। विपक्षी के द्वारा उक्त वाद में मध्यस्थ बनने का प्रयास न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं सभी प्रकिया का पालन कर आदेश पारित किया गया है।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

31/3/11

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

31/3/11

समाहर्त्ता
पूर्णियाँ